तारीख हुक्म	**न्यायालय– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–04, अजमेर** **हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज** **दीवानी इजराय संख्या– 222/2021** **दिनेश शर्मा बनाम जसवन्त सिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकास जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.12.2025	डिक्रीदार व मदयून के अधिवक्ता उपस्थित। इस आदेश से प्रार्थी/डिक्रीदार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 146 एवं आदेश 22 नियम 04 सीपीसी दिनांकित 14.02.2024 का निस्तारण किया जा रहा है जिस पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी के द्वारा दौराने बहस यह तर्क दिया कि उक्त प्रकरण में मदयून संख्या 1 श्री जसवन्त सिंह का स्वर्गवास हो चुका है तथा जसवन्त सिंह अविवाहित थे तथा उनके माता–पिता का वर्षो पूर्व देहांत हो चुका है। इसकारण उनका एकमात्र वारिस उनका भाई अरूण सिंह है। इसलिए इनको रिकोर्ड पर लिया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मदयून संख्या 1 श्री जसवन्त सिंह के स्थान पर मृतक के भाई अरूण सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी–शीतला माता मन्दिर के सामने, हॉस्पीटल रोड, अजमेर को प्रतिस्थापित किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अधिवक्ता अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने में कोई आपत्ति नहीं की गई। सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/डिक्रीदार के द्वारा प्रार्थना पत्र में मदयून संख्या 1 जसवन्त सिंह की मृत्यु होना अंकित किया है तथा मृतक मदयून संख्या 1 का एकमात्र वारिस उसका भाई अरूण सिंह पुत्र नारायण सिंह होना बताया है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/डिक्रीदार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मृतक मदयून संख्या 1 के विधिक वारिस को रिकोर्ड पर लिया जाता है। संशोधित प्रकरण शीर्षक विहित समयावधि में प्रस्तुत किया जावे। पत्रावली दिनांक 09.12.2025 को पेश हो। (ऋतु मीणा) अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या– 04, अजमेर	